Regarding need to provide reservation to ex-servicemen in Group 'A' and 'B' posts- laid

श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर **(सलेमपुर) :** देश सेवारत सैनिकों के मनोबल तथा पूर्व सैनिकों के सम्मान एवं पुनर्वास अवसरों की दयनीय स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । सेना को युवा बनाए रखने हेतु प्रतिवर्ष लगभग 60,000 सैनिक अनिवार्य सेवानिवृत्त किए जाते हैं, जिनमें लगभग 12,000 केवल उत्तर प्रदेश से होते हैं । ये सैनिक 33 से 45 वर्ष की आयु में ही घर लौट आते हैं । वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को केवल समूह ग के कुछ पदों चपरासी, सफाईकर्मी, रेलवे गैंगमैन, ट्रैकमैन आदिमें ही आरक्षण प्रदान किया जाता है, जो उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है । जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगजन को सभी समूहों में संवैधानिक आरक्षण प्राप्त है, वहीं भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण केवल कार्यकारी आदेशों तक सीमित है । पूर्व सैनिकों के सामाजिक सम्मान के विपरीत है, बल्कि सेवारत सैनिकों के मनोबल को भी प्रभावित करता है । अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानजनक पुनर्वास हेतु समूह क एवं ख पदों में भी आरक्षण प्रदान करें ।